

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 281

दुर्ग, दिनांक - 02/03/26

(अध्यक्ष - श्री पी. वी. सजीव)

(सदस्य - श्रीमती ममता कश्यप)

प्रकरण क्रमांक - 171

दिनांक - 08/05/2026

प्रति,

श्री लक्ष्मीनारायण राठी
लोकतंत्र सेनानी मोहन बाल मंदिर के सामने,
गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.) 491001
बी.पी. नं. - 1000230568

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग।
2. सहायक अभियंता,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
दुर्ग शहर जोन।

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 31/08/2026 को पारित किया गया

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात विद्युत बिल अधिक आने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत कथन

आवेदक के अनुसार स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद उसके विद्युत बिल में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष विद्युत बिल की जांच कराकर वास्तविक खपत के अनुसार बिल जारी किए जाने तथा स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली का परीक्षण किए जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के प्रकाश ऐप के 23 से 35 यूनिट तथा मीटर

3. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है :-

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित है तथा उसका स्वीकृत भार 3 किलोवाट है।
2. उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है।

4. विचारणीय प्रश्न

मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :-

1. क्या आवेदक के परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर सही रूप से कार्य कर रहा है?
2. क्या स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात आवेदक को जारी किया गया विद्युत बिल वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर सही रूप से जारी किया गया है?

5. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर में बताया गया है कि उपभोक्ता श्री लक्ष्मीनारायण राठी, लोकतंत्र सेनानी मोहन बाल मंदिर के सामने, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.), बी.पी. नं. 1000230568 द्वारा विद्युत देयक अधिक आने की शिकायत के आधार पर उक्त परिसर का दिनांक 22.07.2026 को कनिष्ठ अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।

स्थल निरीक्षण के दौरान कट आउट निकालने पर नो-लोड की स्थिति में मीटर में कोई पल्स नहीं पाया गया। इसके पश्चात 200 वाट के टेस्ट लैम्प से परीक्षण करने पर 60 सेकंड में 10 पल्स प्राप्त हुई। परीक्षण के आधार पर मीटर सही पाया गया।

अनावेदकगण के अनुसार आवेदक का स्वीकृत अनुबंध भार 3 किलोवाट है, जबकि वर्तमान में परिसर में वास्तविक संबद्ध भार 3692 वाट पाया गया। माह जून 2026 में 1501 रीडिंग तक बिल किया गया है। वर्तमान में राज्य शासन की बिजली बिल सब्सिडी योजना के अंतर्गत 400 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को छूट की पात्रता नहीं है। माह जून 2026 में खपत 400 यूनिट से अधिक होने के कारण 200 यूनिट तक की आधे बिजली बिल की छूट का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण बिल अधिक प्रतीत हो रहा है।

आवेदक के विद्युत देयक का निर्धारण मीटर में दर्ज हिस्ट्री रीडिंग के अनुसार किया गया है। प्रकाश ऐप के अनुसार दिनांक 01.06.2026 से 16.06.2026 तक प्रतिदिन की औसत खपत 23 से 35 यूनिट रही है। कनिष्ठ अभियंता द्वारा आवेदक को बिल संबंधी जानकारी दी गई तथा मीटर में दर्ज विद्युत खपत के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया गया, जिससे आवेदक संतुष्ट हुआ।

अनावेदकगण द्वारा इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदक के परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर का निरीक्षण पत्र फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

आवेदक द्वारा यह शिकायत की गई है कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात विद्युत बिल अधिक आ रहा है। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं परीक्षण विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 22.07.2026 को कनिष्ठ अभियंता द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान नो-लोड की स्थिति में मीटर में कोई पल्स नहीं पाया गया। 200 वाट के टेस्ट लैम्प से परीक्षण करने पर 60 सेकंड में 10 पल्स प्राप्त हुई। उक्त परीक्षण के आधार पर स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली सही पाई गई। अनावेदकगण द्वारा मीटर निरीक्षण संबंधी दस्तावेज भी फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

फोरम के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि स्मार्ट मीटर में कोई तकनीकी खराबी अथवा गलत रीडिंग दर्ज होने की समस्या है।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आवेदक के परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर सही रूप से कार्य कर रहा है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि आवेदक का विद्युत बिल मीटर में दर्ज हिस्ट्री रीडिंग के आधार पर तैयार किया गया है। प्रकाश ऐप में दर्ज विवरण के अनुसार दिनांक 01.06.2026 से 16.06.2026 तक आवेदक की प्रतिदिन औसत विद्युत खपत 23 से 35 यूनिट रही है।

माह जून 2026 में आवेदक की विद्युत खपत 400 यूनिट से अधिक रही। राज्य शासन की बिजली बिल सब्सिडी योजना के अंतर्गत 400 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की आधे बिजली बिल की छूट का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस कारण बिल की राशि पूर्व की तुलना में अधिक प्रतीत हो सकती है।

आवेदक के परिसर में वास्तविक संबन्ध भार 3692 वाट पाया गया, जबकि स्वीकृत भार 3 किलोवाट है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि परिसर में विद्युत उपकरणों के उपयोग के कारण वास्तविक खपत अधिक हो सकती है।

अनावेदकगण द्वारा आवेदक को बिल संबंधी जानकारी एवं मीटर में दर्ज खपत का विवरण समझाया गया, जिसके पश्चात आवेदक संतुष्ट हुआ। फोरम के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि विद्युत बिल गलत रीडिंग अथवा गलत गणना के आधार पर जारी किया गया है।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आवेदक को जारी विद्युत बिल मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर सही रूप से जारी किया गया है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि

1. आवेदक के परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर सही रूप से कार्य कर रहा है तथा विद्युत बिल मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर जारी किया गया है।
2. माह जून 2026 में विद्युत खपत 400 यूनिट से अधिक होने के कारण राज्य शासन की बिजली बिल सब्सिडी योजना के अंतर्गत 200 यूनिट तक की आधे बिजली बिल की छूट का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण बिल की राशि अधिक प्रतीत हुई। बिल में किसी प्रकार की मीटर संबंधी त्रुटि अथवा गणना संबंधी अनियमितता प्रमाणित नहीं हुई है।
3. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।
4. आदेश पारित किया गया।
5. प्रकरण निराकृत किया गया

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।


(ममता कश्यप)

सदस्या

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग


(पी.वी. सजीव)

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग